राजस्थान राज्य

बनाम

सोहन लाल और अन्य

अप्रैल 20,2004

[दोराईस्वामी राज् और अरिजीत पासायत, न्यायाधिपतिगण] दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 378 - बरी किए जाने के खिलाफ राज्य द्वारा अपील-उच्च न्यायालय बिना कारण बताए अनुमित देने से इनकार कर रहा है - अभिनिर्धारित, निर्णय के लिये कारण बताना अदालतों के समक्ष किसी मामले के न्यायिक और विवेकपूर्ण निपटान का एक अनिवार्य गुण है और जो एकमात्र संकेत है कि किये गये कार्य के तरीके और गुणवत्ता के बारे में जानने के लिये, साथ ही इस तथ्य के बारे में जानने के लिये कि संबंधित अदालतने वास्तव में अपना दिमाग लगाया था – और भी अधिक, जब अपील करने की अनुमित से इनकार करने पर विचारण न्यायालय के फैसले की जांच की गुंजाईश एक बार और सभी के लिये बंद हो जाती है, यहां तक कि प्रथम अपीलीय अदालत के उदाहरण और हाथों में भी - अपील की अनुमित देने से इंकार करने के लिये उच्च न्यायालय द्वारा पहुंचे निष्कर्ष के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता का इस तथ्य से कोई

लेना देना नहीं है कि अपील धारा 378 के तहत परिकल्पित अदालत से अन्मति मांगने और प्राप्त करने पर आधारित है - उच्च न्यायालय, प्रथम अपीलीय अदालत के रूप में, यहां तक कि बरी किये जाने के खिलाफ अपील से निटने के लिये भी हकदार था और जरूरत पडने पर स्कैन के लिये भी बाध्य था। पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की जानी चाहिये, हालांकि हस्तक्षेप का चयन करते समय केवल अदालत को रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर अपराध का पूर्ण आश्वासन मिलना चाहिए और केवल इसलिए नहीं कि उच्च न्यायालय केवल एक और संभावित या एक अलग दृष्टिकोण ले सकता है - अपील करने की अनुमित मांगने का प्रावधान यह स्निधित करने के लिए है कि बरी करने के आदेशों के खिलाफ कोई तुच्छ अपील दायर नहीं की जाती है, निश्चित रूप से एक मामले के रूप में, लेकिन यह उच्च न्यायालय को केवल गुप्त या तैयार टिप्पणियों द्वारा अन्मति देने से इनकार करने में सक्षम नहीं बनाता है, जिसमें किसी भी तरह के दिमाग के आवेदन का कोई संकेत नहीं है - अन्मित प्रदान की गई - उच्च न्यायालय को कानून के अनुसार अपील का निस्तारण करने के लिए अनुमति दी गई है।

उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार, जे. टी. (2004) 2 एस. सी. 172, पर भरोसा व्यक्त किया।

धारा 378 – धारा के तहत अपील करने की अनुमति का प्रावधान और संविधान के अन्च्छेद 136 के अंतर्गत अपील करने की विशेष अन्मति का प्रावधान – विशिष्टता के बीच – संविधान के अनुच्छेद 136 किसी भी पक्ष के पक्ष में अपील का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता और ऐसा नहीं है कि संविधान के अन्चछेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में किसी भी त्रुटि को स्वधारने की परिकल्पना की गई है – संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां विशेष और असाधारण हैं और मुख्य उद्देश्य यह स्निश्चित करना है कि न्याय की कोई विफलता न हो - इसे संहिता की धारा 378 के तहत परिकल्पित अपील के साथ समान नहीं कहा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि अपील दायर करने के लिये अनुमति प्राप्त करने के अधीन है -अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता संहिता के तहत अपील की प्रकृति, सीमा या दायरे को अनिश्वित नहीं बनाती है - भारत का संविधान - अन्च्छेद 136

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 895/2002 एकल पीठ आपराधिक अपील संख्या 88/2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदशे दिनांक 31/5/2001 से

सुश्री संध्या गोस्वामी, अपीलार्थी के लिये

सुशील कुमार जैन, एच. डी. थानवी और सुश्री रुचि कोहली, प्रतिवादीगण के लिये। न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

उपरोक्त अपील राजस्थान राज्य एकल पीठ आपराधिक अपील संख्या 88/2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31/5/2001 के खिलाफ प्रस्तुत की गई है जिसके तहत उच्च न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश ने अनुमित देने से इनकार करते हुए निम्निलिखित आदेश पारित किया है और परिणामस्वरूप अपील को खारिज कर दिया है:

विद्धान लोक अभियोजक को सुना।

विवादित निर्णय और विद्धान लोक अभियोजक के पास उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। मुझे आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखली। अनुमति देने का कोई मामला नहीं बनता है, तदनुसार, अपील की यह अनुमति खारिज की जाती है।

श्री सुशील कुमार जैन, प्रतिवादीगण ओर से पेश विद्वान वकील ने इस अदालत के पहले के निर्णयों के बावजूद, जिन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि उन मामलों में जहां अपील करने की अनुमित से इनकार कर दिया जाता है, उन्हें आदेश के समर्थन में कारण दिए जाने चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (संक्षेप में "Cr.P.C") के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ प्रदान की गई अपील और एक दोषमुक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 378 सीआरपीसी में काफी अंतर है और अपीलों के ऐसे अवसर का लाभ उठाने के तरीके में अंतर्निहित अंतर, एक तो स्वचालित

रूप से बिना किसी पूर्व शर्त के मनोरंजन के लिये और दूसरा उच्च न्यायालय की अनुमति मांगने और प्राप्त करने के अधीन अपील करने के अधिकार को विनियमित करना, इस न्यायालय के पहले के निर्णयो में नहीं देखा गया है इसलिये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस तरह की दलीलों का पालन करते ह्ये यह तर्क दिया गया है कि जब एक अदालत ने कहा है कि उसे फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली है तो इसे अपने आप में एक पर्याप्त कारण माना जाना चाहिये और अनुमति से इंकार करने के लिये इस्तेमाल किये गये विवेकाधिकार में गलती नहीं पाई जा सकती है। आधार यह है कि इसके लिये कोई और विवरण/कारण निर्दिष्ट नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने भारत के संविधान के अन्च्छेद 136 के तहत दायर अपीलों के लिए विशेष अन्मति और इस न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण बताये, अपील करने के लिये विशेष अन्मति के लिये ऐसी याचिकाओं को सरसरी तौर पर खारिज करने की अपनाई गई प्रथा के आधार पर एक सादृश्य बनाने का प्रयास किया। अपीलार्थी राज्यके विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कारण देने में चूक करना अपने आप में एक प्रतिकूल कारक है और यह उच्च न्यायालय के आदेश को दूषित करता है, जैसा कि कई मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है।

हमने दोनो पक्षो की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। जे. टी. (2004) 2 एस. सी. 172 में यह न्यायालयः उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार ने पिछले दो दशकों से पहले के मामलों में व्यक्त किए गए विचार को दोहराते हुए निपटान में कारण दर्ज करने के लिये उच्च न्यायालय की आवश्यकता, कर्तव्य और दायित्व पर जोर दिया है। ऐसे मामलो का, किसी न्यायिक मंच द्वारा किसी निर्णय/आदेश और न्यायिक शक्ति की पहचान उसके निर्णय के कारणों का खुलासा करना है और कारणों को बताने पर हमेशा ठोस प्रशासनिक न्याय के मूल सिद्धांतों में से एक के रूप में जोर दिया गया है, ताकि यह पता चल सके कि न्यायालय के समक्षइस मुददे पर उचित और यथोचित दिमाग का प्रयोग किया गया था और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की एक अनिवार्य आवश्यकता भी थी। तथ्य यह है कि एक बरी करने के आदेश के खिलाफ राज्य के आग्रह पर एक अपील पर विचार करने के लियेग्णदोष के आधारपर उस पर प्रभावीविचार करना उच न्यायालय से अपील करने की अनुमति प्राप्त करने के प्रारंभिक अभ्यास के अधीन है, इसे किसी भी निम्न गुणवता या श्रेणी की अपील के रूप में मानने का कोई कारण नहीं है, जब यह विशेष रूप से और वैधानिक रूप से वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है या कारणों को दर्ज करने की स्पष्ट आवश्यकता को दूर करने और समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो। किसी भी न्यायिक शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल यह तथ्य कि विवेकाधिकार अदालत/मंच के पास किसी भी तरह से प्रयोग करने के लिए निहित है. इसे सनक या इच्छानुसार और मनमाने ढंग से प्रयोग करने के लिए किसी भी लाइसेंस का गठन नहीं करता है जैसा कि प्रसिद्ध कहावत द्वारा व्यक्त

किया जाता था - 'कुलपतियों के पैर के अनुसार बदलता रहता है। मनमानी को हमेशा किसी भीशक्ति के न्यायिक अभ्यास का अभिशाप माना गया है, खासकर तब तक ऐसे आदेशों को उच्च मंचों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। राज्य किसी आपराधिक मामले या अपील को आगे बढाने या संचालित करने में अपने स्वयं के किसी भी अधिकार का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वास्तव में बड़े पैमाने पर समाज के उददेश्य की पुष्टि करता है ताकि पुनरावृति को रोका जा सके और साथ ही समाज में सुट्यवस्था बनाये रखने और अराजकता को रोकने के लिये क्रमश: अपराधो और अपराधियों को कानून का शासन कायम रखते ह्ये दंडित किया जा सके। अपील करने की अनुमति मांगने का प्रावधान यह सुनिश्वित करने के लिए है कि बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ कोई भी तुच्छ अपील दायर ना की जाये, लेकिन यह उच्च न्यायालय को केवल गुप्ता या पूर्व निर्धारित टिप्पणियो के माध्यम से अनुमति देने से इंकारकरने में सक्षम नहीं बनाता है। जैसा कि मामले में है (अदालत को कोई त्रुटि नहीं मिली), प्रथम दृष्टया किसी भी तरह के दिमाग के इस्तेमाल का कोई संकेत नहीं है। और भी अधिक जब उच्च न्यायालय के आदेशों को इस न्यायालय के समक्ष आगे चुनौती दी जा सकती है। इस तरह की कर्मकांडीय टिप्पणियां और सारांश निपटान, जिसका प्रभाव कभी कभी होता है, और जैसा कि इस मामले में है, अपील के वैधानिक अधिकार को बंद कर देता है, हालांकि एक विनियमित अदालतो के समक्ष दावे का विवेकपूर्ण तरीके से निपटान

करने वाला उचित और न्यायिक तरीका नहीं कहा जा सकता है। किसी निर्णय के लिये कारण बताना अदालतों के समक्ष किसी मामले के न्यायिक और विवेकपूर्ण निपटान का एक अनिवार्य गुण है और जो किये गये कार्य के तरीके और ग्णवत्ता के बारे में जानने का एकमात्र संकेत है, साथ ही यह तथ्य भी है कि संबंधित अदालत ने वास्तव में अपने मस्तिष्क का उपयोग किया था। इससे भी अधिक, जब अपील करने की इजाजत देने से इंकार करने पर विचारण न्यायालय के फैसले की जांच की गुंजाइश एक बार और सभी के लिये बंद हो जाती है, यहां तक कि प्रथम अपीलीय अदालत के कहने और उसके हाथो भी। हमारे विचार में अपील की अनुमति देने से इंकार करने के लिये उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष के कारणो को दर्ज करने की आवश्यकता का इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 378 के तहत अपील की परिकल्पना की गई है। अदालत से अन्मति मांगने और प्राप्त करने पर शर्त लगाई जाती है। इस अदालत ने बार बार यह निर्धारित किया है कि प्रथम अपीलीय अदालत के रूप में उच्च न्यायालय को दोषम्कि के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान भी हकदार और बाध्य किया गया था कि वह पूरे सबूतो की जांच करे और यदि जरूरत हो तो पूरे सबूतो की फिर से सराहना करे, हालांकि चुनते समय, केवल हस्तक्षेप करने के लिये अदालत को अभिलेख पर मौजूद सबूतो के आधार पर अपराध का पूर्ण आश्वासन मिलना चाहिये, न कि केवल इसलिये कि उच्च न्यायालय केवल एक और संभावित या अलग

दृष्टिकोण अपना सकता है। उपरोक्त को छोडकर, अपील के विचार के विस्तार और गहराई के मामले में , किसी अपील से निपटने में दृष्टिकोण में कोई भेद या अंतर की परिकल्पना नहीं की गई है, केवल इसलिये कि एक दोषसिद्धि के खिलाफ था या दूसरा बरी होने के खिलाफ था।

भारत के संविधान के अन्चछेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्ति पर एक सादृश्य बनाने का प्रयास और धारा 378 सीआरपीसी के तहत अपील की अनुमति के लिये एक आवेदन पर विचार करते समय हमेशा बिना कारण बताये एसएलपी चरण में अपील को खारिज करने की प्रथा का प्रयोग किया जाना चाहिये, का कोई अर्थ नहीं है और यह अतार्किक है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय पदान्क्रम में अंतिम न्यायालय नहीं है और इसके आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए उत्तरदायी हैं, इस स्पष्ट स्थिति के विपरीत कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश से आगे किसी भी अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। एक से अधिक अवसरों पर यह दोहराया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 136 किसी भी पक्ष के पक्ष में अपील करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में किसी भी और हर त्रुटि को ठीक करने की परिकल्पना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्ति विशेष और असाधारण है और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता न हो। इसे धारा 378 Cr.P.C के तहत परिकल्पित अपील के साथ समान नहीं कहा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह अपील दायर करने के लिए अनुमित प्राप्त करने के अधीन है। अनुमित प्राप्त करने की आवश्यकता संहिता के तहत अपील की प्रकृति, सीमा या दायरे को अनिश्चित नहीं बनाती है जैसा कि अपीलार्थी की ओर से माना जाना चाहिए, नतीजतन, इस अपील को स्वीकार किया जाता है और उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है।

इसके समक्ष अपील की प्रकृति और पहले से ही समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में दावों के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना अनुमित देने से न्याय के हित की बेहतर सेवा होगी, तािक बिना किसी और देरी के उसे अपने गुण-दोष पर निपटाया जा सके। अनुमित दी जाती है। उच्च न्यायालय अपील पर विचार करने के लिए अच्छा करेगा और प्रतिवादियों को नोिटस जारी करने के बाद, कानून के अनुसार उस पर विचार करेगा और उसका निस्तारण करेगा।

अपील स्वीकार की गई।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।